न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अंशुल शर्मा, R.J.S.**

एफआईआर संख्या व थाना – 104/2016, पीएस– बलारां
सीआईएस नं०(बी.टी. सं.) – 276/2018
सीएनआर नं० – RJSK140012972016

राजस्थान राज्य **बनाम** **रणजीत सिंह**

अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427 भा.दं.सं.

भाग– प्रथम **दिनांक –01.07.2026**

A

परिवादी	रामेश्वर सिंह
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	**रणजीत सिंह पुत्र बाल सिंह, उम्र 48 साल, निवासी फदनपुरा, थाना बलारां, जिला सीकर।**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री हरफूल सिंह।

B

अपराध की दिनांक	25.08.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.08.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	29.09.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	14.06.2018
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	27.09.2018
निर्णय दिनांक	01.07.2026

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा

							में व्यतीत की गई अवधि
1.	रणजीत सिंह			447, 427 आईपीसी	दोषमुक्त		

भाग द्वितीय
अभियोजन गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू 1	रामेश्वर सिंह	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	दिनेश कुमार	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 3	महावीर	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 4	बृजमोहन	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 5	मदनलाल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	बलबीर सिंह	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 7	विनोद कुमार	नक्शा ट्रेस गवाह
पी.डब्ल्यू 8	अमरसिंह यादव	अनुसंधान तस्दीककर्ता
पी.डब्ल्यू 9	रमेश कुमार	पुलिस गवाह

अभियोजन प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	**विवरण**
प्रदर्श पी. 1	रिपोर्ट
प्रदर्श पी. 2	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी. 3	नक्शामौका
प्रदर्श पी. 4	नक्शा ट्रेस
प्रदर्श पी. 5	जमाबंदी

प्रदर्श पी. 6	बयान धारा 161 सीआरपीसी दिनेश कुमार
प्रदर्श पी. 7	बयान धारा 161 सीआरपीसी महावीर
प्रदर्श पी. 8	बयान धारा 161 सीआरपीसी बृजमोहन
प्रदर्श पी. 9	बयान धारा 161 सीआरपीसी मदनलाल
प्रदर्श पी. 10	बयान धारा 161 सीआरपीसी बलबीर सिं

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक–01.07.2026</u>**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी रामेश्वर सिंह ने थानाधिकारी, थाना बलारां, सीकर के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने दिनांक 25.08.2016 को उसके खेत में आवारा पशुओं के लिए तारबंदी करने हेतु करीब 50 बलिये रोप दिये तथा आठ बड़ल जाल के बलियों के बांधने हेतु खेत में डाल दिये थे। उसके खेत के पास रणजीत सिंह का खेत है। जिसने दिनांक 25.08.2016 को उसके पास आया और कहा कि जहां बलिये गाड़े हैं, वहां रास्ते पर उसका अधिकार है, वह उन बलियों को खड़ा नहीं रहने देगा। उसके बाद दूसरे रोज वह उसके खेत में जाल बांधने गया तो देखा कि रणजीत सिंह के खेत की तरफ 26 बलिये तोड़े हुए थे तथा एक जाल का बड़ल गायब मिला तो उसने गांव में जानकारी की तो पता चला कि रणजीत सिंह एवं उसका बड़ा भाई समदर सिंह रात को उसके खेत में प्रवेश कर पत्थर के पिलरों को तोड़ दिया तथा एक बड़ल जाल लोहे को चोरी कर ले गये हैं*....आदि–आदि।*

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना, बलारां, सीकर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 104/2016 दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. उक्त आपराधिक धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिसपर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन की ओर से यह कथन रहें कि अभियुक्त के विरूद्ध गवाहानों की ओर से अभियुक्त द्वारा रात को परिवादी के खेत के बलिये उखाड़ लिये जाने के कथन किए गए हैं तथा अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर दण्डित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन रहें कि सभी गवाहानों के कथनों में भारी विरोधाभास रहा हैं तथा प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिससे अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदू है–

"क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2016 को किसी समय स्थान ग्राम फदनपुरा से पीपली जाने वाली ग्रेवल सड़क के किनारे परिवादी रामेश्वर सिंह के कब्जे, अधिकार की भूमि में रोपित पोलों को तोड़ने हेतु प्रवेश किया तथा परिवादी के खेत में लगे बलिये व जाल का बड़ल आदि तोड़कर नुकसान पहुंचाकर रिष्टि कारित की?

यदि हां तो अपराध के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

8. पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करें तो सर्वप्रथम प्रकरण में परिवादी गवाह **पी.ड.–1 रामेश्वर सिंह** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 25.08.2016 को उनके खेत की घटना है। वह अपने खेत की सुरक्षा के लिए पोल रोपकर तारबंदी कर रहे थे। उसके खेत के पास रणजीत सिंह का खेत है। उसने अपने खेत में 50 पोल रोप दिये थे, जिसके बाद वह आया और उसने कहा कि तारबंदी क्यों कर रहे हो। उनके खेत के बीच ग्रेवल सड़क है जिसे छोड़कर वह अपने खेत में तारबंदी कर रहा है। वह मजदूरों से तारबंदी करवा रहा था। 50 पोलों में से रणजीत ने 25–26 पोल तोड़ दिये थे। तारों के कुल 8 बंडल थे जिनमें से 1 बंडल गायब था। वह सुबह खेत में गये तब उन्होंने देखा कि पोल टूटे हुए थे व तार का एक बंडल गायब था। दिनांक 28.08.2016 को उसने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दोनों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने टूटे हुए पोलों के फोटो भी खींचे थे। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 व खेत की जमाबंदी प्रदर्श पी 5 हैं।

जिरह में गवाह द्वारा कथन कर प्रदर्श पी 4 में दर्शित रास्ता पूर्व में उसके खेत में से होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। उक्त रास्ता अब उसने अपने खेत की पश्चिमी दिशा में सींव के लगते हुए बना दिया है। गवाह द्वारा उसके खेत के उक्त रास्ते के पास अभियुक्तगण के खेत स्थित है, प्रदर्श पी 4 का नया रास्ता कटानी रास्ता है, रास्ता 22 फीट कटा हुआ है तथा रणजीत सिंह ने भी रास्ते की एवज में जमीन दी थी, प्रदर्श पी 3 में उसने पोल 22 फीट रास्ता छोड़कर रोपे थे तथा पुलिस द्वारा बनाये गये प्रदर्श पी 3 में रास्ते का नाप अंकित नहीं होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। गवाह द्वारा उत्तर दिशा में रास्ता पीपली गांव जाता है, पीपली गांव के लोग थौरासी गांव में पीरबाबा के मेले में जाने वाले लोग इसी रास्ते से जाते हैं जो पिकअप गाड़ियों व ट्रैक्टरों से आते–जाते होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। उसे पीपली गांव के किसी भी व्यक्ति ने उक्त पोलों को रास्ते से थोड़ा दूर खेत की तरफ करने के लिए नहीं कहा था। गवाह द्वारा वह दूसरे दिन गया तब पोल टूटे हुए

थे, उसे लोगों ने बताया था कि पोल किसने तोड़े, उसने नहीं देखा था, उसे चेतावनी दी होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। उनके बीच पूर्व में भी रास्ते को लेकर मुकदमेबाजी होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 में दर्शित पोलों की संख्या गलत है। गवाह द्वारा दिनांक 25.08.2016 को थौरासी गांव में पीरबाबा का मेला था, पोल मेला देखने वाले लोगों ने तोड़े हों तो वह नहीं बता सकता होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया। लोहे का बंडल खेत में ही गिरा हुआ मिला था। उसने उसके द्वारा खरीदे गये तार व पोलों का कोई बिल पेश नहीं किया था। उसने ना तो पोल तोड़ने वाले का नाम सुना एवं ना ही किसी को पोल तोड़ते हुए देखा था।

9. गवाह **पी.ड.–2 दिनेश कुमार** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसका खेत रामेश्वर के खेत के दक्षिण दिशा में है। साल 2016 में ग्रेवल रोड़ की साइड में अपने खेत की तारबंदी कर रहे थे, अंदाजन 40 पोल तोड़ दिए थे। पोल किसने तोड़े वह नहीं बता सकता। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 6 का ए से बी भाग सुनकर सही होना स्वीकार किया तथा सी से डी उसने नहीं लिखाया होना बताया। रणजीत उनका पड़ौसी है, उसके साथ अच्छे संबंध हैं। **जिरह** द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करता है कि पोल कहां रोपे थे वह नहीं बता सकता।

10. इसी प्रकार गवाह **पी.ड.–3 महावीर** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि तारीख, वार उसे याद नहीं है। घटना को काफी दिन हो गए। उन्हें रामेश्वर ने बुलाया था कि बलिये तोड़ दिए हैं। उसने बलिये तोड़ते हुए किसी को नहीं देखा था। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए थे, परंतु वह मौके पर खड़ा था। पुलिस रामेश्वर वाले खेत में आयी थी, वहां बलिये टूटे हुए थे। वह रामेश्वर के खेत के पास चाचा जी के खेत में तारबंदी करने गया हुआ था। उसे पता नहीं चला कि रामेश्वर के बलिये किसने तोड़े। वह रणजीत सिंह

को जानता है जो उसके गांव का रहने वाला है। गवाह द्वारा रामेश्वर ने जो बलिये रोपे थे वो अपने खेत की सीमा में ही रोपे होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। जो रास्ता है वह ग्रेवल का है। वह बलिये टूटने पर दूसरे दिन वहां गया था। रणजीत न्यायालय में आया हुआ है। गवाह द्वारा वह इस न्यायालय में काफी बार बयान देने आ चुका होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया था।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करता है कि उसने किसी भी व्यक्ति को रामेश्वर के खेत में लगे बलिये तोड़ते हुए नहीं देखा था। गवाह द्वारा घटना के दिन पीर बाबा का मेला था, पीर बाबा के मेले के दिन उस रास्ते से कईं सारे साधन आते–जाते होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया।

11. इसी प्रकार गवाह **पी.ड.–4 बृजमोहन** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, क्या बात हुई वह नहीं बता सकता। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का हिस्सा ए से बी सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया था। वह रामेश्वर को जानता है, जो उसके गांव के हैं और उनके खेत के पास ही उसका खेत है। वह रणजीत सिंह को जानता है, रणजीत उसका पड़ोसी है। गांव में रामेश्वर के बलिये टूटने की बात सुनी थी। बलिये टूटे उन दिनों वह खेत में गया था। कितने बलिये टूटे उने नहीं गिने थे। वह महावीर का काका लगता है। **जिरह** द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करता है कि उसने किसी भी व्यक्ति को रामेश्वर के खेत में लगे बलिये तोड़ते हुए नहीं देखा था। गवाह द्वारा घटना के दिन पीर बाबा का मेला था, पीर बाबा के मेले के दिन उस रास्ते से कईं सारे साधन आते–जाते हैं तथा वह न्यायालय के नोटिस पर उपस्थित हुआ होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया।

12. इसी प्रकार गवाह **पी.ड.–5 मदनलाल** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या बात हुई वह नहीं बता सकता। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि साल 2016 में उसके पास एक कैंपर गाड़ी थी। उसका आंतरोली, पीपली ग्रेवल रोड़ पर आना–जाना नहीं था। वह रामेश्वर को जानता है, वे उसके सगे चाचा हैं। रामेश्वर जी का खेत गांव से पीपली जाने वाली सड़क की तरफ है। रामेश्वर ने साल 2016 में खेत की तारबंदी हेतु बलिये लगवाये हों तो उसे ध्यान नहीं है। उसने गांव में रामेश्वर के खेत में लगे बलिये टूटने की बात सुनी थी। वह रणजीत को जानता है। वह बलिये तोड़ने के दिन रणजीत से नहीं मिला था। उसके पुलिस में बयान हुए या नहीं उसे ध्यान नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का हिस्सा ए से बी सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया था।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करता है कि उसने किसी भी व्यक्ति को रामेश्वर के खेत में लगे बलिये तोड़ते हुए नहीं देखा था। गवाह द्वारा कथन कर घटना के दिन पीर बाबा का मेला था, पीर बाबा के मेले के दिन उस रास्ते से कई सारे साधन आते–जाते होने के तथ्यों को स्वीकृत किया गया।

13. इसी प्रकार गवाह **पी.ड.–6 बलबीर सिंह** न्यायालय समक्ष अभियोजन के निवेदन पर प्रकरण में पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्या बात हुई वह नहीं बता सकता। **जिरह** द्वारा अभियोजन में गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का हिस्सा ए से बी सुनकर कहा उसने नहीं लिखाया था। उसने गांव में रामेश्वर के खेत में लगे बलिये टूटने का रोला सुना था। वह रणजीत को जानता है। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। रामेश्वर के खेत में पुलिस आयी थी, तब वह मौके पर था। रामेश्वर के खेत के एक साईड में बलिये लगे हुए थे जो ग्रेवल सड़क के किनारे वाली दिशा में रोपे हुए थे। उनमें से सभी बलिये टूटे हुए नहीं थे। **जिरह** द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करता है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 3

पर उसके हस्ताक्षर थाने में कराये थे। गवाह द्वारा उसने बलिये तोड़ने वाले व्यक्ति को नहीं देखा होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया।

14. गवाह **पी.डब्ल्यू–7 विनोद कुमार** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 20.08.2016 को पटवार हल्का सिंगोदड़ा में पटवारी के पद पर था। उस रोज उसने गांव फदनपुरा के ख.नं. 17/1/1 का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 दिया था जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त ख.नं. की जमाबंदी प्रदर्श पी 5 भी उसके द्वारा जारी की हुई है जो कुल तीन पेजों में हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह कथन करता है कि नक्शा ट्रेस ख.नं. 17/1/1 प्रदर्श पी 4 की खातेदारी राजेंद्र सिंह के नाम से है। फिर कहा जमाबंदी के अनुसार राजेंद्र सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के नाम से है। जमाबंदी, नक्शा ट्रेस किसने जारी करायी, वह नहीं बता सकता। गवाह द्वारा नक्शा ट्रेस में पत्थरगढ़ी का उल्लेख नहीं किया हुआ होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। प्रदर्श पी 4 व पी 5 किस बाबत प्राप्त किये गये थे, वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 4 व पी 5 उसने कहां से जारी किये उसे पता नहीं है। अजखुद कहा उसके पास दो सर्किल थे।

15. गवाह **पी.डब्ल्यू–8 अमरसिंह यादव** न्यायालय समक्ष प्रकरण में तस्दीक अनुसंधानकर्ता के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह वर्ष 2016 में पीएस बलारां में एसएचओ के पद पर तैनात था। प्रकरण संख्या 104/2016 जुर्म धारा 447, 427, 379 आईपीसी पीएस बलारां का अनुसंधान श्री जीवणराम एचसी द्वारा किया जा रहा था। दौराने अनुसंधान पुलिस उपाधिक्षक वृत लक्ष्मणगढ़ के आदेशानुसार अनुसंधान पत्रावली तस्दीक अनुसंधान उसे प्राप्त हुई। उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान परिवादी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पूर्व आईओ जीवणराम एचसी द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर नक्शामौका हालातमौका प्रदर्श पी 3 तैयार किया गया था। जिसपर जीवणराम एचसी के हस्ताक्षर हैं, उसके द्वारा परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थल का मौका देखकर जीवणराम एचसी द्वारा तैयार किये गये नक्शामौका हालातमौका की तस्दीक की गयी। तस्दीक में प्रदर्श पी 2 सही तैयार किया जाना पाया गया। आईओ

जीवणराम द्वारा परिवादी रामेश्वर, गवाह बलबीर सिंह, बृजमोहन, मदनलाल, महावीर के बयान लिये गये थे। उक्त गवाहों को बुलाकर घटना के संबंध में दरयाफत की गयी, तो पूर्व आईओ द्वारा लिये गये बयानों की ताहिद गवाहों ने की। हल्का पटवारी श्री विनोद कुमार से खसरा नंबर 16/1/1 की जमाबंदी व ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रतियां जो पूर्व आईओ जीवणराम एचसी द्वारा प्राप्त की गयी थी, पटवारी विनोद कुमार के संबंध में बयान उसके कहे अनुसार लिये जाकर शामिल पत्रावली किये। गवाह श्री दिनेश कुमार जो विवादित खेत का पड़ोसी था, उसके बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। उसके द्वारा की गयी संपूर्ण तफतीश की तस्दीक से मुल्जिम रणजीत सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 447, 427 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया।

जिरह में गवाह कथन करता है कि हल्का पटवारी से विवादित क्षेत्र का जमाबंदी व नक्शामौका ट्रेस पूर्व आईओ जीवणराम एचसी द्वारा लिये गये थे। जमाबंदी में परिवादी रामेश्वर का नाम वंशानुगत अंकित है। गवाह द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका उसके द्वारा तैयार किया गया होने के सुझाव को गलत होना बताया। घटनास्थल का आईओ द्वारा जो नक्शामौका मूर्तिब किया गया था, उसमें पीलरों की संख्या लगभग अंकित की गई है। गवाहों के बयान कुछ पूर्व आईओ द्वारा व कुछ उसके द्वारा लिये गये थे। गवाहों के बयान तस्दीक तफ्तीश के अनुसार जो बयान दिये हैं वह बयान 161 सीआरपीसी में पूर्व आईओ द्वारा लिये गये थे एवं हल्का पटवारी विनोद व पड़ौसी गवाह के बयान उसके द्वारा लिये गये थे। प्रदर्श पी 3 में तस्दीक नक्शामौका में रोड़ की चौड़ाई उसने नापी होगी, लेकिन अब उसे याद नहीं है। पूर्व आईओ द्वारा घटनास्थल से सटतें हुए आम रास्ते की चौड़ाई अंकित नहीं की। घटनास्थल के पास आम रास्ता है, जिसमें आवागमन रहता है। गवाह द्वारा प्रदर्श पी 3 में रास्ते की चौड़ाई उन्होंने नापी थी, पत्रावली में सहवन से अंकित नहीं की होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं उसके कथनानुसार परिवादी ने पॉल अपने हिस्से की जमीन की तरफ गाड़े थे। गवाह द्वारा इस प्रकरण की तफ्तीश जीवणराम कर रहे थे, अनुसंधान के दौराने

प्रकरण की तफ्तीश उसके द्वारा तस्दीक की गई होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। मौके पर पश्चिम की ओर जो खेत हैं, वंशानुगत के अनुसार मुल्जिम व उसके वंशानुगत होंगें। परिवादी ने अपने कथनों में बताये अनुसार बयान लिये थे, तस्दीक तफ्तीश के अनुसार परिवादी ने अपने बयानों की ताहिद की। हो सकता है कि हल्का पटवारी अपने कथनों में अदालत में बोला होगा, उसके द्वारा लिये गये बयानों में इस तरह के कथन सामने नहीं आये।

16. गवाह **पी.डब्ल्यू–9 रमेश कुमार** न्यायालय समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 27.08.2016 को थाना बलारां में एसआई के पद पर था। उस रोज परिवादी रामेश्वर सिंह द्वारा एक लिखित रिपोर्ट कायमी मुकदमा हेतु थाना इंचार्ज के रूप में उसके समक्ष पेश की। रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 447, 427, 379 आईपीसी की परीधि में आने से प्रथम सं. 104/2016 दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान जीवनणराम एचसी के हवाले किया। परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर कार्यवाही पुलिस का अंकन व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दोनों पर परिवादी व उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में गवाह द्वारा कथन कर उसने परिवादी की पेश रिपोर्ट पर केवल एफआईआर दर्ज की थी, अनुसंधान नहीं किया होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया। परिवादी के साथ उस दिन रिपोर्ट पेश करने कोई अन्य आया हो तो उसे याद नहीं है।

17. अभियोजन की ओर से अभियुक्त रणजीत के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 427, 447 भा.दं.सं. को साबित करने हेतु न्यायालय समक्ष कुल 9 गवाहानों को परीक्षित कराया गया है। जिनमें सर्वप्रथम स्वयं परिवादी न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिनके न्यायालय समक्ष यह कथन रहे कि दिनांक 25.08.2016 को उसके खेत की घटना है। उसका खेत रणजीत सिंह के खेत के पास है व अपने खेत में परिवादी ने 50 पोल रोप दिए थे। जिसपर रणजीत सिंह ने उसे तारबंदी किए जाने के लिए पूछा तो परिवादी द्वारा अपने खेत के बीच की ग्रेवल सड़क को छोड़कर स्वयं के खेत में ही तारबंदी किए जाने की बात कही गई, परंतु रणजीत द्वारा 25–26 पोल तोड़ दिए गए व तारों के कुल 8 बंडल में से एक बंडल गायब था,

जिसके संबंध में सुबह खेत पर जाने के बाद परिवादी को पता चला कि पोल टूटे हुए हैं और तार का एक बंडल गायब है। जिसकी दिनांक 28.08.2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शामौका प्रदर्श पी 3, खेत का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 व जमाबंदी प्रदर्श पी 5 पर परिवाद गवाह द्वारा अपने हस्ताक्षर होना स्वीकृत किया गया।

18. दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह द्वारा यह स्वीकृत किया गया कि प्रदर्श पी 3 नक्शामौका में उसके द्वारा पोल 22 फीट रास्ता छोड़कर रोपे गए थे व यह भी स्वीकृत किया गया कि खेत का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 में दर्शित रास्ता पूर्व में परिवादी के खेत में से था। परिवादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया गया है कि उसे दूसरे दिन पोल तोड़े जाने के संबंध में लोगों द्वारा बताया गया था, परंतु पोल किसके द्वारा तोड़ा गया, यह उसने नहीं देखा। परिवादी गवाह अभियुक्त रणजीत के साथ रंजिश होना अस्वीकृत करता है, परंतु परिवादी व अभियुक्त के मध्य पूर्व में रास्ते को लेकर मुकदमेबाजी होना भी स्वीकृत किया गया है। परिवादी द्वारा रोपे गए पोलों की सं. 50 बताई गई है, परंतु प्रदर्श पी 3 नक्शामौका में दर्शित पोलों की संख्या गलत होना भी गवाह द्वारा कथित किया गया है। आगे गवाह यह भी स्वीकृत करता है कि घटना दिवस दिनांक 28.08.2016 को थोरासी गांव में पीर बाबा का मेला था व मेला देखने वाले लोगों ने पोल तोड़ा हो तो वह यह तथ्य नहीं बता सकता।

19. न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू 2 व पी.डब्ल्यू 3, पी.डब्ल्यू 4, पी.डब्ल्यू 5, पी.डब्ल्यू 6 जो कि स्वतंत्र गवाह के रूप में परीक्षित हुए हैं के द्वारा अपने न्यायालय समक्ष कथनों में जिस व्यक्ति द्वारा पोल तोड़े गए, उसके संबंध में जानकारी नहीं होने के कथन किए गए। जिसपर उक्त समस्त गवाहान पक्षद्रोह घोषित हुए हैं व जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में भी उक्त समस्त गवाह द्वारा उन्हें पोल तोड़े जाने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी नहीं होने के कथन किए गए। नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 व जमाबंदी प्रदर्श पी 5 के जारीकर्ता गवाह न्यायालय समक्ष पी.डब्ल्यू 7 के रूप में परीक्षित हुए हैं। जिनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में भी नक्शा ट्रेस में

पत्थरगढ़ी का उल्लेख नहीं होना स्वीकृत किया गया है। न्यायालय समक्ष अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा प्रकरण में की गई संपूर्ण कार्यवाही की ताईद की गई है। जिन्हें अनुसंधान पत्रावली प्रकरण के पूर्व अनुसंधान अधिकारी जीवणराम, एच.सी. से प्राप्त होना कथित किया गया है। प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 9 के रूप में परीक्षित हुए हैं जो कि न्यायालय समक्ष यह कथन करत हैं कि उनके द्वारा मात्र परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई थी व कोई अनुसंधान नहीं किया गया था।

20. न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए गवाहानों के कथनों से प्रकट है कि किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान परिवादी के खेत में जाकर परिवादी द्वारा रोपे गए पोलों को तोड़े जाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है। सभी स्वतंत्र गवाहान न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए हैं जिनकी ओर से स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा पोल तोड़े जाने से इंकार किया गया है। खेत का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 4 में पत्थरगढ़ी का उल्लेख नहीं होना भी पटवार हल्का सिंगोदड़ा में पटवारी के पद पर पदस्थापित गवाह पी.डब्ल्यू 7 द्वारा भी स्वीकृत किया गया है। प्रकरण के मुख्य अनुसंधान अधिकारी भी न्यायालय समक्ष मृत्यु हो जाने के कारण परीक्षित नहीं हो सके हैं व स्वयं परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 द्वारा भी यही कथन रहे हैं कि उसे पोल तोड़े जाने के संबंध में जानकारी लोगों द्वारा दी गई थी, परंतु उसके स्वयं के द्वारा कोई घटना नहीं देखी गई। परिवादी कथनानुसार न्यायालय समक्ष परीक्षित हुए समस्त अन्य गवाहान द्वारा भी परिवादी के खेत में प्रवेश कर परिवादी द्वारा रोपे गए पोलों को अभियुक्त द्वारा तोड़े जाने की पुष्टी नहीं की गई हैं। पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन से यह लेशमात्र भी प्रकट नहीं है कि अभियुक्त द्वारा धारा 447 भा.दं.सं. के अपराध के अंतर्गत परिवादी के कब्जेशुदा खेत की भूमि में रोपे गए पोलों को तोड़े जाने हेतु प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया हो व धारा 427 भा.दं.सं. के अपराध के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा परिवादी की ओर से अपने खेत में रोपे गए पोलों को तोड़कर परिवादी को सदोष हानि कारित की हो। अतः उक्तानुसार अभियुक्त रणजीत को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447,

427 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आ दे श–

21. परिणामतः अभियुक्त **रणजीत सिंह पुत्र बाल सिंह, उम्र 48 साल, निवासी फदनपुरा, थाना बलारां, जिला सीकर** को अपराध अंतर्गत धारा **447 व 427 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. न्यायालय के आदेशानुसार धारा–437(ए) सीआरपीसी के अभियुक्त की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत मुचलके आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(अंशुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़,
जिला सीकर

23. निर्णय आज दिनांक 01.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़,
जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.03 10:17:58 IST